>

Title: Introduction of the Motor Vehicles (Amendment), Bill, 2019.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-14, श्री नितिन गडकरी जी ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल डॉ. वी.के. सिंह) (सेवानिवृत्त)]: महोदय, मैं नितिन गडकरी जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । "

प्रो. सौगत राय । सौगत राय जी फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और 35 साल तक इन्होंने प्रोफेसरशिप की है ।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM) : Thank you, Sir. I rise to oppose the introduction of the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019.

At present, the issue does not concern the legislative competence because of the fact that the subject is in the Concurrent List and the Parliament can make a law defining powers available to the States. It is mainly due to the reason that some of the States are concerned about new provisions, which empower the Centre to formulate a National Transport Policy through a process of consultation and not concurrence.

Under the new amendments, changes in the Motor Vehicles Act will enable the Central Government to formulate schemes for the national multi-nodal and inter-State movement of goods and passengers for rural mobility and even last-mile connectivity.

This will take away the powers of the State Governments, which have been making changes as per the requirements, suiting their local conditions as well as the needs of the local population in the hinterland. Moreover, it also takes away the powers of the States so far as providing rural connectivity as a social service instead of profitable routes for operation of such services.

Sir, this will put the people living in rural and far flung areas to disadvantage because the private operators refuse to cater to their needs because of low profits or losses due to scarcely populated regions spread across the Himalayan belt and tribal areas of Central Indian States. That is why, I oppose this Bill which infringes on the rights of the States, and takes away the powers of the States to improve road connectivity in the rural areas.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR) : Sir, I also rise to oppose the introduction of the Bill. However, not in its entirety but I oppose only a few provisions. I think, it does not comply with the established constitutional provisions. I must appreciate that the Minister has burnt midnight oil to make it a comprehensive and a robust Bill. However, certain loopholes are identified.

We all know that it is a long overdue legislation. I would simply draw the attention of the concerned Minister to Clause 33 where the Bill provides that the Central Government may modify any permit issued under the Act. It may also modify the scheme for national multimodal and interstate transportation of goods or passengers, and issue or modify license under such schemes. These permits and schemes must be for specific purposes listed in the Bill, and include last mile connectivity, rural transport and improve freight movement.

I would like to say that before taking any such action, the Central Government should consult the State Governments. So, I would propose to the Minister that he should take the State Governments into confidence before the introduction of this legislation.

Secondly, the Clause 17 of the Bill provided that, for a new motor vehicle, the dealer would apply for the registration of vehicle if the dealer is situated in the same State where the vehicle is being registered. Here, my objection is with respect to empowering the dealer or the registering authorities because it would be against public interests. These two issues I thought it prudent to raise in this House, and for Minister's consideration.

इसके साथ-साथ, यह भी सही है कि आज मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 के बारे में डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के तहत चर्चा होने वाली है । हिन्दुस्तान में रोज़ाना सड़क दुर्घटनाओं में चार हजार लोगों की मौतें हो जाती हैं । मुझे हैरानी होती है कि अगर रोज़ाना इतनी मौतें हो जाएं, खासकर दिल्ली और नोएडा को देखिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ खूनी रोड्स बन चुके हैं । इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे ।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR) : Hon. Speaker, Sir, I rise to oppose the amendments to the Motor Vehicles Act. We seek to oppose very important clauses where the Government has brought amendments to the Bill. In Clause 5(c), you have increased the time limit for renewal of licence from one month to one year after the expiry. This means that you will have people with an expired driving licence driving for one year after the licence has expired. This is detrimental to road safety as well as to the lives of others who may be on the road.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, क्या आप जवाब देना चाहते हैं?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप चर्चा के समय बात कर लीजिएगा ।

…(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी) : सम्माननीय स्पीकर महोदय, मैं मैडम के सब सवालों का जवाब दूंगा । यह बिल पिछली लोक सभा के समय पास हुआ था, उसके बाद यह बिल राज्य सभा में पास नहीं हो पाया था । इस बिल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब यह बिल तैयार हुआ तो कुछ सम्माननीय सदस्यों ने और कुछ लोगों ने इस बिल पर आपत्ति उठाई थी । उस समय यूनुस खान राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री थे । उनकी अध्यक्षता में 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने इस बिल को जांचा और उन्होंने रिक्मेंड किए हुए बिल की कॉपी मुझे दी, जो मैंने पार्लियामेंट में पेश की ।

पार्लियामेंट में पेश करने के बाद दोनों सदनों के द्वारा आदेश हुआ, जिसके बाद यह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भी गया और जॉइंट सलेक्शन कमेटी के पास भी गया । दोनों कमेटियों की रिपोर्ट के बाद यह बिल राज्य सभा में गया,

लेकिन उस समय राज्य सभा में यह बिल पास नहीं हो पाया । आज मैंने फिर से एक बार वही सेम बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है । ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अगर फिर यह बिल पास नहीं हुआ? ...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : प्रोफेसर सर, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं । मुझे जानकारी है कि यह सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है । यह सेंट्रल लिस्ट में नहीं है । यह सब्जेक्ट कॉनकरेंट लिस्ट में है । इसलिए कॉनकरंट लिस्ट में होने के कारण इस पर लेजिस्लेशन करने का अधिकार भारत सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है ।

मैं सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जिसका आपने उल्लेख भी किया था । जो स्टेट इसको लागू करना चाहता है, वह कर सकता है । जो स्टेट इसको लागू नहीं करना चाहता है, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मैन्डेटरी नहीं है । इस बिल के द्वारा किसी भी प्रकार से हम स्टेट के कोई भी अधिकार लेना नहीं चाहते हैं । हम उनके अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते हैं ।

स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है । नई गाड़ी खरीदने के बाद ऐसा नियम है कि वह गाड़ी आरटीओ ऑफिस में ले जानी पड़ती है । उस गाड़ी को देखने के बाद आरटीओ उस पर ठप्पा लगाकर उसका रजिस्ट्रेशन करता है । मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता कि गाड़ी ले जाने में और लाने में क्या होता है । ...(व्यवधान) इसलिए हमने यह कहा कि डीलर उसको रजिस्टर करेगा और आरटीओ ऑफिस जो काम करेगा, उतना पैसा उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा । ...(व्यवधान) हमने इसमें स्टेट का कोई भी अधिकार नहीं लिया है । ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं । ...(व्यवधान) क्या इसको चुस्त-दुरुस्त करने की कोई व्यवस्था है? ...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : पहली बात यह है कि मैं हर चर्चा के लिए तैयार हूं । ...(व्यवधान) सम्माननीय सदस्य जो-जो बातें मेरे ध्यान में लाकर देंगे, उनको हम सुधार देंगे । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के समय डीटेल्ड डिबेट कर लेंगे ।

...(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR) : It is a practice that you have to consult the State Governments. Their opinion should also be taken...(*Interruptions*).

श्री नितिन जयराम गडकरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से वही बता रहा हूं । 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने स्वीकृति देने के बाद, उन्होंने सूचनाओं को स्वीकारते हुए यह बिल तैयार किया । इसके बाद जॉइंट सलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी ने छ:-छ: महीने तक इस बिल की स्क्रीनिंग की ।

मैं एक बार फ्रस्ट्रेट भी हुआ हूं, क्योंकि उस विषय का आपने उल्लेख किया । हमारे यहां हर साल डेढ़ लाख मौतें होती हैं और पांच लाख एक्सीडेंट्स होते हैं । 30 परसेंट लाइसेंस बोगस हैं । दिल्ली का एक आदमी जयपुर में जाकर लाइसेंस लेता है, मुंबई में जाकर लाइसेंस लेता है । इस पर कोई कंट्रोल नहीं है । ...(व्यवधान) वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर किसी देश में लाइसेंस मिलता होगा तो उस देश का नाम हिन्दुस्तान है । ...(व्यवधान) इस विषय में कोई सजा नहीं होती है । ...(व्यवधान) लोग स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पर हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने से देखते हुए आगे जाते हैं, पर कोई चिंता नहीं करते हैं । ...(व्यवधान) कानून के प्रति सम्मान भी नहीं है और डर भी नहीं है, ऐसी स्थिति है । ...(व्यवधान) 50 रुपये या 100 रुपये के फाइन की कोई चिंता नहीं करता है । ...(व्यवधान) इसीलिए लोगों की जान बचाने के लिए हम यह बिल लाए हैं । ...(व्यवधान) मैं आपसे भी बोल चुका हूं कि यह मेरे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है । मैं इसे स्वीकारने में संकोच नहीं करता हूं । ...(व्यवधान) पांच साल

तक कोशिश करने के बाद भी केवल 3.5-4 परसेंट ही एक्सीडेंट्स कम हुए । ...(व्यवधान) इसमें तमिलनाडु एक अपवाद है । तमिलनाडु ने 15 परसेंट एक्सीडेंट्स कम कर के लोगों की जान बचाई है । ...(व्यवधान) इसलिए तमिलनाडु ने जो प्रयोग किया है, वही प्रयोग करने के लिए हम आप सबकी सहमति और अनुमति से आगे जाएंगे । ...(व्यवधान) प्रोफेसर साहब , यह हर जगह लिखा है । ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए ।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी बात राज्य के ऊपर बंधनकारक नहीं है । ...(व्यवधान) मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल देखकर आया, जहां डबल डेकर बस को नो-ऑपरेटर्स चलाते हैं । ...(व्यवधान) हम अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस को सुधारना चाहते हैं, इलैक्ट्रिक बसेज़ को लाना चाहते हैं । ...(व्यवधान) अब इलैक्ट्रिक बसेज़ की शुरुआत हुई है । कल मैंने इथेनॉल से चलने वाली बाइक को इनॉगरेट किया, हम उसी तरह टैक्सी बनाना चाहते हैं । ...(व्यवधान) जिस राज्य को ये नई-नई बातें स्वीकार करनी हैं, वे स्वीकार करें और जिसको ये बातें स्वीकार नहीं करनी हैं, वे न करें ।

यह मैनडेटरी नहीं है । ...(व्यवधान) हम स्टेट का कोई भी अधिकार नहीं लेना चाहते हैं । ...(व्यवधान) मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस बिल पर चर्चा कीजिए । चर्चा में मैं आपके साथ बैठूंगा । Either convince me or be convinced by me. अगर आप मुझे कनवेंस करें, तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं । ...(व्यवधान) लोगों की जान बचाने के लिए इस बिल को आप पास कीजिए । ...(व्यवधान) देश में डेढ़ लाख लोग एक्सीडेंट्स से मर रहे हैं । ...(व्यवधान) मैं भी इससे ग्रस्त हूं । मेरा पैर चार जगह टूटा था । मेरी पांच सालों तक कोशिश करने के बाद भी यह बिल नहीं आ पाया । मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं । जॉइंट सलेक्शन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य थे । मैं दो-तीन मीटिंग्स में उनके पास गया, हमारे सेक्रेट्री भी गए । ...(व्यवधान) इसके बाद 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने भी इस बिल को देखा । इसके बावजूद आप सब नए चुनकर आए हुए लोग हैं, आप सब मेरे साथ बैठिये । आप लोग पब्लिक इंट्रेस्ट में जो कहेंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं । इसमें कोई

राजनीति नहीं है । लोगों की जान बचाने के लिए आप इस बिल को स्वीकार करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

जनरल डॉ वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

12.20 hrs